

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक 1110/1868/2020/38/1
प्रति,

भोपाल, दिनांक 03/9/2020

जितेन्द्र रोहितास
सहायक पेंशन अधिकारी,
जिला पेंशन कार्यालय, दमोह(म.प्र.)

विषय:-कार्यभार ग्रहण करने बाबत।

संदर्भ:- विभागीय आदेश क्रमांक एफ 1-90/2019/38/1, दिनांक 13.12.2019 एवं आपका
अभ्यावेदन दिनांक 26.05.2020

* * *

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित आदेश दिनांक 13.12.2019 द्वारा आपको सहायक प्राध्यापक, वाणिज्य के पद पर नियुक्ति प्रदान करते हुए शासकीय महाविद्यालय, पथरिया, जिला दमोह में पदस्थ किया गया था, किंतु आपके द्वारा निर्धारित समय-सीमा में कार्यभार ग्रहण नहीं करने के कारण कार्यभार ग्रहण कराये जाने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया।

2/ आपसे प्राप्त अभ्यावेदन दिनांक 26.05.2020 के अनुक्रम में पूर्ण विचारोपरांत पत्र जारी दिनांक से 07 दिवस में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित किया जाता है, उक्त अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में आपकी नियुक्ति स्वतः निरस्त कर दी जावेगी।

dl 03/09/2020
(श्वेता पवार)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग

पृष्ठा.क्रमांक 1111/1868/2020/38/1
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 03/9/2020

1. निज सचिव, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा, म.प्र.
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र.,

//2//

3. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, सागर संभाग, सागर,
4. प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, पथरिया, जिला दमोह

Al 03/09

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

उच्च शिक्षा विभाग